आवश्यक सूचना

सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2023 को दिए गए निर्णय के अनुसार सहारा-सेबी अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नई दिल्ली को हस्तान्तरित करने का आदेश दिया गया है, जिससे सोसाइटी के सम्मानित जमाकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। इस सन्दर्भ में हम आप सभी सदस्यों को सूचित करना चाहते हैं कि आप अपने भुगतान सेंट्रल रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राप्त करें। कृपया किसी भी मध्यस्थ या अन्य माध्यम से भुगतान प्राप्त करने का प्रयास न करें। इससे आपके साथ धोखाधड़ी/ठगी होने की आशंका है और आपके जमा धन की हानि भी हो सकती है। इस प्रकार से हुई किसी भी हानि के लिए सोसाइटी प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अतः हम आप सभी सम्मानित सदस्यों से पुनः अनुरोध करते हैं कि केवल और केवल सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर ही अपना भुगतान प्राप्त करें।

धन्यवाद